न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 18/2023 बउनवानी रामफूल गुर्जर बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 पुत्र श्री छीतर गुर्जर ग्राम कैलाशपुरी तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2023/38

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज

12.4.2023

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 24.1.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. प्रभू लाल पुत्र गंगाराम बैरवा निवासी ग्राम महादेवपुरा तहसील चाकसू जिला सवाईमाधोपुर के नाम से पर्यटन ईकाई होलल प्रयोजनार्थ ख0न0 128 व 128 मिन कुल रकबा 15 बीघा का सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 12.6.2012 क्रमांक प.12(97)प.ई./राजस्व/भू0रू0/04/4245 द्वारा जिला कलेक्टर की सम्पूर्ण पत्रावली की प्र0प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ. 13(1)(017)सूकाअ/2023/1998 दिनांक 29.3.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 24.1.2023 मे चाही गयी सूचना श्री प्रभूलाल पुत्र गंगा राम बैरवा की भूमि रूपान्तरण से संबंधित होने के कारण उक्त सूचना तृतीय पक्ष की है जिसकी प्रति अपीलान्ट को दिया जाना आवश्यक नही है। पैरोकार राजस्व द्वारा यह तर्क भी दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 10044/2010 उनवानी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाम सुभाष चन्द्र अग्रवाल निर्णय दिनांक 13.11.2019 को पारित किया गया है जिसकी पालना के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग ग्रुप–7 के पत्रांक प.6(1)राज–7/2019/विविध जयपुर दिनांक 12.8.2021 को सभी जिला कलेक्टर्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार भी उक्त सूचना निजी जानकारी की श्रेणी मे आती है इसलिए किसी तृतीय पक्ष को देय नही है। इसलिए अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.1.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना अधिनियम की धारा 8(1)(जे) एवं धारा 11 के तहत वैयक्तिक एवं तृतीय पक्ष की होने के कारण गोपनीय माना गया है तथा ऐसी निजी सूचनाओ को किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नही करवाने बाबत [illegible] की अपील संख्या 10044/2010 उनवानी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ब[illegible] चंद्र अग्रवाल मे पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 मे भी स्पष्ट निर्दे[illegible] परिप्रेक्ष्य में भी उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आव[illegible] अपील [illegible] रिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] एवं बाद तकमील [illegible] अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:36:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर